



## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...<sup>द्वितीय</sup>

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

('उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु')

### स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी सरिता पाण्डेय

भवन सं० 36/1 B.W.S. चन्द्र शेखर आज़ाद नगर

सुन्दरी योजना, इलाहाबाद

पत्रांक 377

नि० प्र० 2016/76

दिनांक 26-7-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या B-36/1 योजना चन्द्र शेखर आज़ाद नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 13/340

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 26-7-2016 से 25-7-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मम्टी हेतु 47.40 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 49.30 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्धक अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

प्र० सं० 377

/उपरोक्त

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक 26-7-2016

प्रतिरिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय चन्द्र शेखर आज़ाद नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी सत्या सिंह प/० श्री जगदेव सिंह  
76 A/1 जौधवल, त्रिलोचन गंज  
इलाहाबाद

पत्रांक 86

नि० प्रा० 2015/103

दिनांक 9-3-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या B-138/1 योजना श्रीलक्ष्मी नगर नगर इलाहाबाद  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 03.03.2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 115/987  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 9-3-2016 से 8-3-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 1.19.3.9 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 90.56 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध-अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 86

/उपरोक्त

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक 9-3-2016

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय त्रिलोचन गंज उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
9/3/16



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...3.

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्रीमती/श्री

विक्रम पत्नी श्री मितलाल

B-142 चन्द्रशेखर साजद नगर योजना में

इलाहाबाद

नि० प्र० 2016/63

दिनांक 19.10.2016

पत्रांक 467

भवन/भूखण्ड संख्या/खसस संख्या B-142 योजना चन्द्रशेखर साजद नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 7.10.2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 465

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 19.10.2016 से 18.10.2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 239.04 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 266.64 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक 19.10.2016

पृ० सं० 467

/उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
19/10/16



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई..द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी राजेशा श्रीवास्तव  
A-209 चन्द्र शौकर काजाद नगर, मेहदीरी योजना,  
इलाहाबाद।

पत्रांक **376**

नि० प्र० 2016/62

दिनांक 26-7-2016

भूखण्ड/भूखण्ड संख्या/खण्ड संख्या A-209 योजना चन्द्र शौकर काजाद नगर इलाहाबाद


निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 08.07.2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 3.42

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। 25-7-2021

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 26-7-2016 से 25-7-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 3.56.7.3 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 3.92.6.1 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


पृ० सं० **376**

/उपरोक्त

  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक 26-7-2016

प्रातिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय चन्द्र शौकर काजाद नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी राम अवतार सिंह गहलोत एवं श्री राम कुमार सिंह, स्व  
A-102 चन्द्र शेखर आजाद नगर, मेहदीरी, श्री पृष्ण कुमार सिंह  
इलाहाबाद


पत्रांक 194

नि० प्रा० 2017/12

दिनांक 7.6.2017


भवन/भूखण्ड संख्या/खसस संख्या A-102 योजना चन्द्र शेखर आजाद नगर इलाहाबाद  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 20.04.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 654  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 7.6.2017 से 6.6.2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मम्टी हेतु 260.72 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 466.90 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक 7.6.2017

पृ० सं० 194 / उपरोक्त  
प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय चन्द्र शेखर आजाद नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद  
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक 7/6/17



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

('उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु')

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

श्रीमती रश्मि देवी

519 नमोदेव रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ

पत्रांक 146

नि० प्र० 2015/105-

दिनांक 28-4-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या C-11 योजना इन्दिरा नगर, इ.म.हा.वा.द.

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 13-4-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 668

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 28-4-2017 से 27-4-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।

2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 76.95 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 134.125 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।

4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।

5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

7. अतः निर्माण के पश्चात् खण्ड द्वारा निर्माण प्रमाणक की पश्चात् ही अन्य तलों की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 146 / उपरोक्त  
प्रतिलिपि :-

1/ [Signature] तददिनांक 28-4-2017

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इ.म.हा.वा.द. को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, इ.म.हा.वा.द. उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इ.म.हा.वा.द. को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

[Signature]